

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पं.राज(प्रा.शि.) राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/शि.संस्था/एफ-4/विदेश यात्रा/1260/2018/
जिला शिक्षा अधिकारी,
(मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा,
जयपुर।


दिनांक-05.04.19

विषय:-श्रीमती विमला गुप्ता अध्यापिका राउप्रावि,शेखावाटियो का धेर,जयपुर पूर्व,जयपुर के विदेश यात्रा की अनुमति बाबत।

प्रसंग:- सीबीईओ जयपुर पूर्व का पत्र क्रमांक 02 दिनांक 08.03.19


उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है, कि श्रीमती विमला गुप्ता अध्यापिका राउप्रावि,शेखावाटियो का धेर,जयपुर पूर्व,जयपुर जिनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक 16.04.2005 है तथा राज्य सेवा मे स्थाई रूप से कार्यरत है, को दिनांक 20.05.19 से 16.06.2019 तक की अवधि में घाना हेतु विदेश यात्रा की अनुमति निम्नांकित शर्तों के तहत प्रदान की जाती है:-

1. विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे।
 2. विदेश यात्रा के लिये प्रथम बार मे आवेदित अवकाश मे किसी प्रकार की वृद्धि निदेशालय की अनुमति के बिना स्वीकृत नहीं होगी। निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नहीं आने पर सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
 3. विदेश मे किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेंगे।
 4. विदेश से भेजा गया त्याग पत्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
 5. विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जायेगा एवं ना ही राजकीय स्रोत से कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
 6. विदेश प्रस्थान से पूर्व सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत पश्चात ही प्रस्थान करेंगे।
 7. विदेश प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
 8. विदेश प्रवास के दौरान जहाँ-जहाँ पर रहेंगे उनके पत्तों से इस विभाग को तुरन्त अवगत कराएँगे।
 9. यात्रा का समस्त खर्च स्वयं के द्वारा वहन किया जाएगा।
 10. विदेश यात्रा अवधि मे शाला मे अध्ययन कार्य बाधित नहीं होना सुनिश्चित किया जाए।
 11. चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कार्मिक के मुख्यालय छोड़ने तथा अवकाश के सम्बन्ध में सक्षम स्वीकृति पूर्व में ही प्राप्त कर यात्रा पर प्रस्थान करावें।
- उक्त स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं पंराज (प्रारं. शिक्षा)
विभाग,राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान जयपुर पूर्व जयपुर।
2. श्रीमती विमला गुप्ता अध्यापिका राउप्रावि,शेखावाटियो का धेर,जयपुर पूर्व,जयपुर।
3. प्रभारी सूचना सहायक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं पंराज (प्रारं. शिक्षा)
विभाग,राजस्थान, बीकानेर